प्रथम सूचना रिपोर्ट के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण विधिक स्थिति, लिखने की जानकारी तथा समन एवं वारंट की तामील

प्रथम सूचना रिपोर्ट– जैसा कि नाम से स्पष्ट है, प्रथम सूचना रिपोर्ट किसी संज्ञेय अपराध के किये जाने के सम्बन्ध में प्रथम सूचना होती है। यह आपराधिक अभियोग का आधार होती है। किसी संज्ञेय अपराध की सूचना प्राप्त होने पर उन मामलों में थानें के भारसाधक अधिकारी को किसी अभियुक्त को गिरफ्तार करने एवं मामले में बिना मजिस्ट्रेट के अनुमति के अन्वेषण का अधिकार प्राप्त होता है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट किसी आपराधिक मामले को गति प्रदान करती है। शब्द 'प्रथम सूचना रिपोर्ट' इस रूप में दण्ड प्रक्रिया संहिता में किसी धारा में प्रयुक्त नही हुआ है, परन्तु किसी मामले में अन्वेषण जांच या विचारण में सबसे अधिक उच्चारित किये जाने वाला शब्द है।

<u>प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का प्राविधान–</u> किसी संज्ञेय अपराध की थाने पर सूचना दर्ज किये जाने का प्राविधान द0प्र0सं0 की धारा 154 में वर्णित है, जिसके अनुसार –

1. संज्ञेय अपराध के किये जाने से संबन्धित सूचना यदि थाने के भारसाधक अधिकारी को मौखिक दी गयी है तो–

क. उसके द्वारा या उसके निर्देशन में लेखबद्ध कर ली जायगी।

ख. सूचना देने वाले को पढ़कर सुनाई जायेगी।

ग. ऐसी प्रत्येक सूचना, चाहे वह लिखित दी गयी हो या लेखबद्ध की गयी हो पर सूचना देने वाले के हस्ताक्षर कराये जायेंगे।

घ. सूचना का सार थाने पर निर्धारित पुस्तक (जी0डी0) में दर्ज किया जायेगा।

2. इस प्रकार दर्ज की गयी सूचना की प्रतिलिपि तत्काल सूचना देने वाले को निशुल्क दी जायेगी।

3. यदि किसी व्यक्ति की सूचना थाने पर दर्ज करने से इनकार किया जाता है, तो पीड़ित व्यक्ति सूचना का सार लिखित रूप से डाक द्वारा संबन्धित पुलिस अधीक्षक को भेज सकता है।पुलिस अधीक्षक संतुष्ट होने पर मामले में अन्वेषण किये जाने का आदेश देगा।

प्रथम सूचना रिपोर्ट थाने पर दर्ज किये जाने के संबन्ध में महत्वपूर्ण बातें–

रिपोर्ट के संबन्ध में निम्न बातों का ध्यान रखा जाना चाहिये–

1. प्रथम सूचना रिर्पोट किसी संज्ञेय अपराध के संबन्ध में होती है।

2. पुलिस रेगुलेशन के पैरा 97 के अनुसार थाने पर संज्ञेय अपराध के संबन्ध में दी गयी सूचना चिक रसीद पुस्तिका (पुलिस प्रारूप सं0 341) में तीन प्रतियों में लिखी जायेगी तथा सूचना देने वाले व्यक्ति द्वारा प्रत्येक पर हस्ताक्षर बनाये जायेगे।

3. पुलिस रेगूलेशन के पैरा 98 के अनुसार थाने के रजिस्टरों और डायरी में सभी रिपोर्ट एवं प्रविष्टियां स्पष्ट एवं पठनीय लिखी जानी चाहिये।

किसी प्रविष्टि में कटिंग या ओवर राइटिंग प्रथम सूचना रिपोर्ट की सत्यता के बारे में संदेह पैदा करती है।

4. पुलिस रेगूलेशन के पैरा 99 के अनुसार ज्यों ही रिपोर्ट प्रथम सूचना पुस्तिका में लिखी गई हो त्यों ही सूचना का सार संक्षेप में थाने की जी0डी0 लिखा जाना चाहिये।

5. पुलिस रेगूलेशन के पैरा 103 के अनुसार थाने के भारसाधक अधिकारी को थाने पर दर्ज की गयी दोनो प्रकार की रिपोर्ट (संज्ञेय एवं असंज्ञेय अपराध के संबन्ध में) पर अपने हस्ताक्षर बनाने चाहिये।

6. प्रथम सूचना रिपोर्ट तीन प्रतियों में तैयार की जाती है, मूल चिक एफ0आई0आर0 (प्रथम प्रति) तत्काल धारा 157 द0प्र0सं0के प्राविधान के अनुसार अधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट को भेजी जानी चाहिये। चिक FIR विलम्ब से मजिस्ट्रेट को भेजे जाने से यह संदेह पैदा होता है कि वास्तव में जो समय एफ0आई0आर0 दर्ज करने का बताया गया है, उस समय सूचना दर्ज नही हुई थी।

चिक एफ0आई0आर0 पर थाने से मजिस्ट्रेट के समक्ष भेजे जाने की तिथि एवं समय स्पष्ट रूप से अंकित की जानी चाहिये।

7. चिक एफ0आई0आर0 की दूसरी प्रति सूचना देने वाले को तत्काल निशुल्क देनी चाहिये।

8. चिक एफ0आई0आर0 की तृतीय प्रति मूल चिक रजिस्टर में थाने के अभिलेख के रूप में रहती है।

9. यदि किसी मामले में थाने का भारसाधक अधिकारी यह विनिश्चय करता है, कि उस मामले में अन्वेषण नही किया जायेगा, तो पुलिस रेगूलेशन के पैरा 105 के अनुसार इस तथ्य की प्रविष्टि चिक एफ0आई0आर0 की मूल एवं तृतीय प्रति पर करनी चाहिये।

निम्न सूचना प्रथम सूचना रिपोर्ट नही है–

1. किसी मामले में अन्वेषण शुरू होने के बाद दी गई सूचना एफ0आई0आर0 के रूप में नही मानी जा सकती यह धारा 162 द0प्र0सं0 से प्रतिबन्धित है।

2. यदि टेलीफोन से अस्पष्ट एवं रहस्यमई सूचना दी गयी है, तो वह एफ0आई0आर0 के रूप में स्वीकार नही की जा सकती।

परन्तु यदि टेलीफोन पर दी गई सूचना स्पष्ट एवं संज्ञेय अपराध के संबन्ध में है, तो ऐसी सूचना प्रथम सूचना रिपोर्ट के रूप में मानी जानी चाहिये। (श्याम देवगरिया बनाम बिहार राज्य1953 पटना)

प्रथम सूचना रिपोर्ट कहां दर्ज की जा सकती है–

संज्ञेय अपराध के संबन्ध में सूचना कहीं पर भी दी जा सकती है।

प्रथम सूचना रिपोर्ट कौन दर्ज कर सकता है–

प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के लिये यह आवश्यक नही कि वह व्यक्ति चक्षुदर्शी या पीडित व्यक्ति हो वह कोई भी व्यक्ति हो सकता है।

(हल्लू बनाम राज्य ए0आई0आर0 1974 एससी 1936)

<u>क्या थाने का भारसाधक अधिकारी संज्ञेय अपराध की सूचना दिये जाने पर रिपोर्ट लिखने के लिये बाध्य है–</u> उच्चतम न्यायालय के नवीनतम निर्णय **ललिता कुमारी बनाम उ0प्र0राज्य2009(64)एस0सी 214(एस0सी) में** यह अवधारित किया है, कि यदि थाने के भारसाधक अधिकारी को किसी संज्ञेय अपराध की सूचना दी जाती है, तो वह सूचना लिखने के लिये बाध्य है।

<u>प्रथम सूचना रिपोर्ट के संबन्ध में अन्य महत्वपूर्ण बातें–</u> प्रथम सूचना रिपोर्ट किसी मामले में सारवान साक्ष्य नही होती और न ही यह संग्रह ग्रन्थ (encyclopaedia) होती है, परन्तु निम्न बातों का ध्यान रखा जाना चाहिये–

1. प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से नही लिखायी जानी चाहिये–

परन्तु कुछ मामले ऐसे हो सकते है, जहां विलम्ब के बारे मे स्पष्टीकरण दे दिया गया है, तो वह घातक नही होती, जैसे–

- डर के कारण
- कत्ल एवं अन्य गंभीर अपराध में सदमें के कारण
- गंभीर चोट के कारण
- बलात्कार के मामले में
- दहेज एवं दहेज हत्या के मामले में
- अपहरण, व्यपहरण के मामले में
- घटनास्थल से थाने की दूरी अधिक होने के कारण
- थाने पर रिपोर्ट लिखने से इनकार करने पर
- गबन के मामले में

2. प्रकाश स्त्रोत का उल्लेख न होना

3. अभियुक्त का नाम न होना

4. गवाह का नाम न होना

5. चोंटो का उल्लेख न होना

6. चोरी के मामले में चोरी गये समान की सूची दाखिल न करना

7. महत्वपूर्ण तथ्यों का लोप होना

.....

<u>समन एवं वारंट तामील करने कर विधि–</u> किसी व्यक्ति को न्यायालय मे हाजिर होने के लिये क्रमशः निम्न तरीका अपनाया जाता है–

1. समन द्वारा
2. वारंट द्वारा
3. संबन्धित व्यक्ति के संबन्ध में उद्घोषणा जारी करके तथा उस व्यक्ति की सम्पत्ति की कुर्की करके

समन– समन न्यायालय का ऐसा आदेश होता है, जो किसी व्यक्ति को निश्चित तिथि, समय एवं स्थान पर न्यायालय मे उपस्थित होने के लिये दिया जाता है, यह आदेशिका का सरलतम रूप है।

समन की तामील कैसे की जाती है– धारा 61 द0प्र0सं0 में समन के प्रारूप में बताया गया है तथा धारा 62, 64 एवं 65, 66 में तामील करने की विधि बतायी गयी है–

धारा 62—समन की व्यक्तिगत तामीलः—इस प्रकार की तामील को आम बोल—चाल में समन की जाती तामील करना भी कहते है। सम्बन्धित व्यक्ति को न्यायालय द्वारा प्रेषित समन की दो प्रतियों में से एक प्राप्त कराई जाती है तथा दूसरी पर उसकी प्राप्ति के हस्ताक्षर कराकर पुलिस अधिकारी अपनी आख्या के साथ न्यायालय भेज देता है।

धारा 64—समन कर विकसित तामीलः—इसे आम बोल—चाल में समन की 'किस्म दोयम' तामील भी कहा जाता है। जब समन दिया गया व्यक्ति सम्यक् तत्परता बरतने पर भी न मिले तो समन की एक प्रति उसके परिवार के वयस्क पुरूष सदस्य को देकर दूसरी प्रति पर प्राप्ति के हस्ताक्षर कराकर पुलिस अधिकारी अपनी आख्या के साथ न्यायालय भेज देता है।

धारा 65—समन को चश्पा करके— जब उपरोक्त दोनो प्रकार से तामील सम्यक् तत्परता के बाद भी न हो सके तो समन की दो प्रतियों में से एक प्रति उस मकान के मुख्य द्वार या दरवाजे पर चिपकाकर (चश्पा करके) जहां वह व्यक्ति निवास करता है तामील की जायेगी।

धारा 66—सरकारी सेवक पर तामीलः—जहां समन किया व्यक्ति सरकारी सेवा मे है, वहां न्यायालय आमतौर पर समन दो प्रतियों में उस कार्यालय के प्रधान को भेजेगा, जो धारा 62 के अनुसार समन की तामील करायेगा।

वारंट की तामील— वारन्ट किसी व्यक्ति को न्यायालय में निश्चित तिथि, समय एवं स्थान पर गिरफ्तार कर पेश करने के लिये न्यायालय का आदेश होता है। यह आदेशिका का समन की अपेक्षा अधिक कठोर रूप होता है। वारन्ट के बारे में द0प्र0सं0 की धारा 70 से 81 में प्राविधान है।

धारा 70 में वारंट के प्रारूप एवं अवधि के बारे में बताया गया है।

धारा 71—जमानतीय वारन्टः— न्यायालय दो प्रकार से वारन्ट जारी करता है:—

1. जमानतीय वारंट— इस प्रकार के वारन्ट में यह निर्देश होता है कि यदि संबन्धित व्यक्ति पुलिस अधिकारी को वारंट पर उल्लिखित धनराशि का बन्ध पत्र एवं जमानत दे देता है, तो वह गिरफ्तार करने पर छोड़ दिया जायेगा।

2. **अजमानतीय वारंट—** इस प्रकार के वारंट के अधीन अभियुक्त को गिरफ्तार करने पर छोड़ने का कोई विकल्प नही होता, गिरफ्तार व्यक्ति को हर हालत में न्यायालय के समक्ष पेश करना होता है (धारा 76)

धारा 72—वारंट किसको निर्दिष्ट होंगे— सामान्य तथा वारन्ट पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट होता है, परन्तु पुलिस अधिकारी उपलब्ध न हो तथा वारंट की तुरन्त तामील आवश्यक हो तो यह किसी भी व्यक्ति को निर्दिष्ट हो सकता है।

धारा 73— अन्वेषण के दौरान वारंट के संबन्ध में—पुलिस अधिकारी अन्वेषण के दौरान जो वारंट न्यायालय से प्राप्त करता है,वह इसी धारा के प्राविधान के अर्न्तगत है।

धारा 74— पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट वारंट— किसी पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट वारंट की तामील ऐसा अधिकारी अपनी अधीनस्थ पुलिस अधिकारी से पृष्ठांकन करके करा सकता है।

धारा 75— वारंट के सार के सूचना

धारा 76– गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अन्दर वारंट जारी करने वाले न्यायालय के समक्ष पेश करना।

धारा 77– किसी वारन्ट की तामील के अनुपालन में ऐसे व्यक्ति को भारत में कहीं भी गिरफ्तार किया जा सकता है।

धारा 79– अधिकारिता से बाहर वारन्ट की तामील

Thanks